(6)

कार्यवाही विवरण

मे0 ए.सी.सी. लिमिटेड के पथरिया लाईम स्टोन माईन लीज–2, ग्राम–पथरिया तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत लाईम स्टोन माईन क्षमता–0.6 मिलियन टन/वर्ष से 0.84 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज एरिया–37.85 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण।

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत मे0 ए.सी.सी. लिमिटेड के पथरिया लाईम स्टोन माईन लीज–2, ग्राम–पथरिया तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) द्वारा क्षमता विस्तार के तहत लाईम स्टोन माईन क्षमता–0.6 मिलियन टन/वर्ष से 0.84 मिलियन टन/वर्ष (माईनिंग लीज एरिया–37.85 हेक्टेयर) के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों दैनिक भास्कर, रायपुर दिनांक 11.02.2015 एवं हिन्दुस्तान टाईम्स, नई दिल्ली दिनांक 12.02.2015 एवं भुल सुधार सूचना दिनांक 13.02.2015 लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोकसुनवाई आज दिनांक 16 मार्च 2015 दिन सोमवार को पुर्वान्ह 11:00 बजे अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में पूर्व माध्यमिक शाला, पथरिया के सामने का खेल मैदान, ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, सी.जी. ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार केन्द्रीय पर्यावरण भवन,लिंक रोड नं.–3, ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल–16, जिला कलेक्टर कार्यालय दुर्ग, जिला पंचायत कार्यालय दुर्ग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, दुर्ग, नगर पालिका परिषद, अहिवारा, जिला–दुर्ग, नगर पंचायत धमधा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत पथरिया, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत नंदिनी खुंदिनी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत पोटिया, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत परसदा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत सगनी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत कोड़िया, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत पिटौरा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत गिरहोला, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत सेमरिया, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत हरदी, जिला–दुर्ग, मुख्यालय छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल कबीर नगर व्यवसायिक परिसर, छ.ग. गृह निर्माण मंडल, कालोनी, कबीर नगर, रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय छ.ग.पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में रखवाई गई थीं। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई।

(7)

लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 16 मार्च 2015 दिन सोमवार अपरान्ह 1.00 बजे सुनील जैन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में पूर्व माध्यमिक शाला, पथरिया के सामने का खेल मैदान, ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम सुनील जैन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा अपरान्ह 1.00 बजे दिन सोमवार को लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत अजय गेडाम, क्षेत्रीय अधिकारी छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया। इसके पश्चात् उद्योग प्रतिनिधि श्री एच. एस. राठौर, एक्टिंग डायरेक्टर, प्लांट मे0 ए.सी.सी. जामुल सीमेण्ट वर्क्स, जामुल द्वारा परियोजना के संबंध में जानकारी के साथ ही माइन्स के संबंध में तकनीकी विवरण, जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन एवं वृक्षारोपण आदि से जन सामान्य को अवगत कराया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव, विचार, टीका टिप्पणियां दर्ज कराया। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्री रविशंकर सिंह, वार्ड–13, नंदिनी नगर, जिला–दुर्ग ।

- ए.सी.सी. के द्वारा पथरिया माइन्स हेतु जनसुनवाई हो रही है।
- कंपनी में वर्तमान में लगभग 300 कर्मचारी ही कार्य कर रहे हैं।
- यह क्षेत्र चूना पत्थर से भरा है।
- हमारा उद्देश्य औद्योगिक क्षेत्र में बड़े उद्योग आये।
- यहां के बरोजगार युवकों को बेहतर रोजगार का लाभ मिले।
- शिक्षा का विकास हो।
- चिकित्सा सुविधा का लाभ मिले।
- आर्थिक, सामाजिक उन्नति हो। सबको इसका लाभ मिलें।
- वर्ष 2015 के ऑडिशन में मोदी सरकार द्वारा कहा गया है कि 33 प्रतिशत औद्योगिक क्षेत्र की राशि डिस्ट्रीक्ट मिनरल क्षेत्र में जमा करेंगे।
- साथ ही एक ऐसी कमेटी बनाई जायेगी जो इस राशि को विकास कार्य में खर्च हो रही है या नहीं इस पर नजर रखेगी।
- ए.सी.सी. कंपनी पिछले 50–60 वर्षो से कार्यरत है। उसके द्वारा दी जाने वाली सुविधा से आसपास के गांव–पथरिया, नंदिनी में विकास कार्य होगा।
- महोदय जी हम सब लोग नंदिनी से हैं। कंपनी के माध्यम से इस क्षेत्र में सड़क का निर्माण हुआ। टाऊनशिप से एयरपोर्ट तक सड़क बना।
- हमारे द्वारा निजी खदानों के संचालक की बैठक में सम्मिलित होकर एक निर्णय लिये कि नंदिनी की सड़क को बीएसपी. प्रबंधन द्वारा संधारण कराया जायेगा, जिसे राज्य शासन द्वारा बनाई जायेगी।
- संचालकों की बैठक हुई जिसमें निर्णय हुआ कि 22 लाख की लागत से उस सड़क का निर्माण कार्य भी करवाया गया।
- वह सड़क बाद में जर्जर हो गई। बाद में हमारे द्वारा मांग की गई कि इसका पुनः संधारण किया जाना चाहिये। तत्पश्चात् बीएसपी प्रबंधन द्वारा एक करोड़ की लागत से पुनः सड़क का संधारण कार्य करवाया गया।

- आने वाले माह में बारिश होने वाली है, जिसके कारण सड़क का पुनः संधारण कार्य होना चाहिये।
- ए.सी.सी. की हाईवा वाहन जो भारी लोडेड है, का संचालन उस सड़क पर कराया जाता है, जो सही नहीं है। हमारे द्वारा कंपनी को कहे जाने पर प्रबंधन कहती है कि यह आम सड़क है। हम भी इसका टैक्स अदा करते हैं।
- मेरी हार्दिक इच्छा है कंपनी लगे, फले फूले, विकास हो।

2. **श्री अशोक कुमार बाफना, अहिवारा, जिला–दुर्ग ।**

- मेरी मूलतः मातृभूमि यही है। मैं यहां पला बड़ा हुआ हूं और सुख दुख में समर्पित रहता हूं।
- हमारी गांव की जमीन खनिज संपदा से भरी है।
- यह क्षेत्र शांत है। यहां ऐसा कोई कारखाना आये जिसमें हमारे गांव के युवकों को रोजगार मिले और वे अपना भविष्य उज्जवल बनाये।
- एक कहावत है कि जब लिखा होता है तभी सबेरा होगा।
- ए.सी.सी. कंपनी आज यहां आ चुकी है। यहां के बेरोजगारों को इसका पूरा लाभ मिलेगा।
- इस क्षेत्र में कंपनी ने 40 वर्षो से ज्यादा सुखमय और दुखमय समय व्यतीत किया है।
- हर किसी में किसी न किसी प्रकार की कमियां होती है। ए.सी.सी. और जे.के. लक्ष्मी कंपनी में भी होगी।
- ए.सी.सी. परिवार एक ऐसा परिवार है जो 30 से 40 लोडेड गाड़ियों का परिवहन रोजाना करती है। नियमित परिवहन के संकल्प के साथ यह अपना कार्य कर रही है।
- हमारे ग्रामीणों को भारी वाहन चलने से आने जाने में 2–3 घंटा समय अधिक लगता है।
- पासिंग क्षमता के अनुसार ए.सी.सी. कंपनी द्वारा परिवहन का कार्य किया जाता है।
- हमारे गांव के रोड़ की स्थिति जर्जर है। इसका संधारण कार्य होना चाहिये।
- जे.के.लक्ष्मी की एन.ओ.सी. आई तो मैंने व्यक्तिगत रूप से विरोध किया था। हमारे गांव के बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलना चाहिये। जिसका फायदा उन्हें मिला।
- मैं 7–8 वर्षो से ए.सी.सी. में ट्रांसपोर्टर के माध्यम से जुड़ा हुआ हूं।
- माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं विधायक महोदय के द्वारा बायपास सड़क बनाने की अनुमति दी गई है।
- जे.के. लक्ष्मी में 300–400 गांव के लोग जीवकोपार्जन कर रहे हैं।
- ए.सी.सी. कंपनी को एन.ओ.सी. दी जानी चाहिये।

3. **श्री अशोक कुमार भारती, देउरझाल, जिला–दुर्ग ।**

- हमारे गांव में खदान गहरीकरण करने के कारण पानी सूख जा रहा है।
- यहां अत्यधिक खदान खुल चुका है।
- पानी की सुविधा बनाते हुए खदान खोला जाये।
- अधिक ब्लास्टिंग होने से हमारे गांव के घरों में दरार हो जाती है। जिसका मुआवजा शासन द्वारा या कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति दिया जाये।
- गांव में एकता और जागरूकता की कमी है।

- खदान फूटने से खेत बंजर पड़ जायेंगें।
- नियमित रूप से उद्योग लगे लेकिन अच्छे लगे। नहीं तो मैं इसका विरोध करता हूं। जिसमें सबका भला हो।

4. **श्रीमती उषा केसरा, मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग ।**

- ए.सी.सी. द्वारा संचालित ग्रामीण विकास कार्य के अंतर्गत महिलाओं को सिलाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
- भविष्य में भी कंपनी द्वारा विकास का कार्य किया जाये।
- कंपनी द्वारा ब्लास्टिंग कार्य संतुलित किया जाये। जिससे घरों में दरार न पड़े।
- पर्यावरण की दृष्टि से ब्लास्टिंग किया जाये।
- ए.सी.सी. में हमारे गांव के लोगों को रोजगार दिया जाये।
- विदेश से हमें सीमेण्ट लाने की जरूरत नहीं रहेगी।
- मैं ए.सी.सी. कंपनी लगने का समर्थन करती हूं।
- कंपनी बेरोजगार युवकों को सक्षम बनाये और आत्मनिर्भर बनाये।
- हमें ए.सी.सी. के पास उनसे निवेदन कर काम मांगना होगा।

5. **श्री महेश कुमार साहू, पथरिया, जिला–दुर्ग ।**

- हमारे गांव में ए.सी.सी. खदान लगभग 45 वर्षो से संचालित हैं।
- ए.सी.सी. कंपनी कभी विकास में सहयोग नहीं दिया।
- श्री सांवलाराम डाहरे, विधायक द्वारा ही विकास कार्य करवाया गया है न कि ए.सी.सी. कंपनी द्वारा किया गया।
- मेरे पिता जी कंपनी में 15 साल परमानेंट काम किये हैं।
- मेरे पिता के साथ कंपनी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है और बहुत अधिक दबाव बनाया गया है जिससे वे वहां की नौकरी छोड़ दिये।
- आज हमारे गांव में ग्रामसभा था, जिसमें हम सब निर्णय लिये हैं कि ए.सी.सी. कंपनी की 0.6 मिलियन टन/वर्ष से 0.84 मिलियन टन/वर्ष बढ़ने नहीं देंगे।
- हमारे गांव में पानी की समस्या है।
- हमारी बोरिंग नहीं चल रहा है।
- ए.सी.सी. द्वारा चारो तरफ गंदा पानी भर दिया गया है।
- 45 साल से ये कंपनी हमारा शोषण किया है।
- ये अपना वर्चस्व हर तरफ बढ़ाया है। लेकिन हमारे गांव की ओर ध्यान नहीं दिया।
- मैं कंपनी लगने का घोर विरोध करता हूं।

6. **श्री शेख समशेर, मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग ।**

- मैं ए.सी.सी. कंपनी द्वारा संचालित सिलाई प्रशिक्षण के माध्यम से यहां सिलाई प्रशिक्षण संस्था चलाता हूं और गांव के महिलाओं को सिलाई सिखाता हूं।
- ए.सी.सी. कंपनी को एन.ओ.सी. दिया जाये।
- कंपनी गांव के विकास में अपना सहयोग देते रहे, यही मैं चाहता हूं।

7. **श्रीमती प्रजेय सुमरे, मेड़ेसरा , जिला–दुर्ग ।**
- पानी की समस्या का निराकरण करने की बात रखती हूं।
- चिकित्सा की सुविधा हो।
- शिक्षा का विकास हो। शिक्षा में पिछड़े लोगों को आगे बढ़ायें।
- बेरोजगारों को योग्यता के अनुसार रोजगार मिले।

8. **श्री विजय कुमार, पथरिया, जिला–दुर्ग ।**
- लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

9. **श्री मन्नू लाल ठाकुर, पथरिया, जिला–दुर्ग ।**
- लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

10. **श्री राजकुमार टंडन, पथरिया, जिला–दुर्ग ।**
- लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

11. **श्री लखन लाल साहू, पथरिया, जिला–दुर्ग ।**
- आज तक ए.सी.सी. कंपनी हमें बच्चा जैसे भुलवार कर रख दिया है।
- हमारा बोर सूख गया है।
- ए.सी.सी. कंपनी हमें 45 साल से गुमराह करता रहा है।
- इनको एन.ओ.सी. आगे नहीं दिया जाये।

12. **श्रीमती ज्ञानेश्वरी साहू, मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग ।**
- यहां कई खदाने हैं।
- पानी टंकी का निर्माण, सड़क निर्माण, शिक्षा सुविधा ए.सी.सी. कंपनी द्वारा करवाया गया है। किन्तु हमारे गांव के कुछ लोग ये सब काम पंचायत करवाये हैं, ऐसा कह रहे हैं।
- यहां हम खाना खाने नहीं आये हैं मांग पूरी कराने आयें हैं।
- ए.सी.सी. कंपनी द्वारा पूरा सहयोग हमारे गांव को दिया गया है।

13. **श्री नीतिन कुमार सोनी, पथरिया, जिला–दुर्ग ।**
- एक एक बूंद पानी के लिये ग्राम पथरिया जूझ रहा है।
- ए.सी.सी. कंपनी हमारे गांव का पूरा पानी का दोहन कर रहा है।
- कंपनी द्वारा पूरा पानी नदी व नाले में बहा दिया जा रहा है।
- हमारे गांव में पानी की व्यवस्था नहीं करवाई गई है।
- कंपनी पहले हमारे काम पूरा करे अन्यथा हम कंपनी का सहयोग नहीं कर पायेंगें।
- तालाब में कंपनी द्वारा ऐसा गेट लगाया गया है, जिससे पानी बहाया जा रहा है।

14. **श्रीमती सरोज बाई ढीवर, पथरिया, जिला–दुर्ग ।**
- लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

15. **श्री भूपेन्दर सिंग, नंदिनी , जिला–दुर्ग ।**

➢ लिखित में आवेदन प्रस्तुत किया गया।

16. **श्री रामदयाल पटेल, सरपंच, सहगांव, जिला–दुर्ग ।**

➢ ए.सी.सी. खदान हमारे पिता जी का है।

➢ इसमें हमारे परिवार के सदस्य को नौकरी पर लेने की बात कही गई है।

➢ ए.सी.सी. कंपनी द्वारा हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को नौकरी पर नहीं रखा गया।

➢ मैं सहगांव का रहने वाला हूं। कंपनी द्वारा हमें गुमराह किया जा रहा हैं।

➢ सहगांव के एक भी आदमी को कंपनी में नौकरी नहीं दिया गया है।

17. **श्री चंद्रशेखर साहू, पथरिया, जिला–दुर्ग ।**

➢ ए.सी.सी. प्रबंधन द्वारा लीज–1 व 2 में उत्पादन बढ़ाने से उसका ही फायदा होगा। हम कृषक को क्या फायदा होगा।

➢ इनके द्वारा कृषि जमीन को खरीद कर रखा गया है। भविष्य में भी इनके द्वारा दलाल के माध्यम से और जमीन खरीदने की बात कही जा रही है।

➢ लगभग 50 लाख प्रति एकड़ के हिसाब से कंपनी द्वारा जमीन खरीदा जाना चाहिये और एक परिवार के सदस्य को नौकरी देना चाहिये तभी उन्हें गांव की जमीन दी जायेगी।

➢ ए.सी.सी. कंपनी ड्रायवर, टेक्नीशियन आदि की भर्ती यहीं से ले।

➢ हमारे गांव की बेरोजगारी दूर करे।

18. **श्री मधुसूदन पाण्डे, नंदिनी खुंदनी , जिला–दुर्ग ।**

➢ ए.सी.सी. कंपनी 40–45 साल से खदान खोलकर काम कर रही है, जिससे बोर का पानी नीचे चला गया है।

➢ खेती किसानी में तकलीफ हो गई है।

➢ बोर कराने पर पानी नहीं निकलता है।

➢ उनके द्वारा यहां एक पैसे का भी काम नहीं किया गया है।

➢ उनके द्वारा बाहरी आदमी के परिवार को नौकरी दिया गया है। हमारे गांव के लोगों को नौकरी नहीं दिया गया है।

➢ गांव के लोगों से जमीन ले ली गई है।

➢ खदान क्षेत्र पूरा किसानी क्षेत्र है। यदि गांव में खदान खुलेगा तो वह क्षेत्र कृषि योग्य नहीं रह जायेगा। खेती–बाड़ी बन्द हो जायेगी।

19. **श्री राजीव पासवान, नंदिनी, जिला–दुर्ग ।**

➢ मैं एक ड्रायवर हूं। हमें पथरिया ए.सी.सी. माइन्स ही नहीं अन्य माइन्स वाले भी सहयोग प्रदान करें।

➢ कंपनी ने 25–30 साल में काफी कुछ काम किया है।

➢ ए.सी.सी. कंपनी द्वारा पेड़ लगवाया गया है।

- पहले कंपनी की गाड़ी 17–18 टन माल ले जाती थी, परन्तु अब 15–16 टन माल लेकर जाती हैं।
- गांव में पानी की समस्या है।
- ए.सी.सी. खदान गहरा हो गया है।
- गांव के लोग तालाब के गंदे पानी में नहाते हैं जिसे कंपनी द्वारा सफाई कराई जाये।

20. श्री आनंद कुमार टंडन, पथरिया , जिला–दुर्ग ।

- यहां के किसान के पास 05–10 एकड़ जमीन है।
- खदान लगने से मेरे बोरिंग में पानी नहीं आता है।
- मेरा घर का मोटर भी नहीं चलता है।
- इस क्षेत्र के खदान पूरा बन्द कराया जाये।
- कंपनी में गांव के लोग परमानेंट नौकरी पर नहीं हैं।
- पूरा गांव मेरी बात का समर्थन करता है।

21. श्री राधेश्याम पटेल, सहगांव, जिला–दुर्ग ।

- गांव की समस्या का समाधान होना चाहिये।
- ए.सी.सी. ने हमारे गांव के समाज के लिये कुछ भी नहीं किया है।
- मेरा जन्म सन् 1972 का है। मुझे नौकरी नहीं मिली। योग्यतानुसार नौकरी दिया जाये।
- मैं किसान का बेटा हूं।
- यदि हम जमीन देंगे तो कंपनी को रोजगार देना होगा।
- गांव में स्वास्थ्य सुरक्षा, शिक्षा सुविधा होना चाहिये।
- गांव में विकास की गति नहीं बढ़ाई जा रही है।
- शिवनाथ नदी गंदा हो गया है।

सुनील जैन अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों पर उद्योग प्रतिनिधि को अपने विचार व्यक्त करने हेतु आमंत्रित किया गया। तत्पश्चात् उद्योग प्रतिनिधि श्री एच.एस. राठौर, एक्टिंग डायरेक्टर, प्लांट मे0 ए.सी.सी. जामुल सीमेण्ट वर्क्स, जामुल जिला–दुर्ग द्वारा लोकसुनवाई के दौरान उठाये गये मुद्दों के संबंध में जानकारी दी गई जो निम्नानुसार है :–

- पानी की समस्या का निराकरण किया जायेगा।
- स्कूल बाउण्ड्री बनाई जायेगी।
- कक्षा 9–10वीं की कक्षा के लिये कंपनी द्वारा मदद की जायेगी।
- ग्राउण्ड वाटर के तहत बारिश के पानी को इकट्ठा कर गांव में लाया जायेगा।
- 25–30 प्रतिशत युवावर्ग को रोजगार देने की पहल है।
- हमें भविष्य का निर्माण करना है।
- रायल्टी का 33 प्रतिशत राशि को मिनरल एरिया में इन्वेस्ट किया जायेगा।
- सी.एस.आर. की एक्टिविटी चलाई जायेगी।

लोक सुनवाई के दौरान दिनांक 16 मार्च 2015 दिन सोमवार को लिखित में 28 आवेदन मौके पर प्राप्त हुआ। जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	आवेदनकर्ता का नाम	आवेदन का विषय
1.	समस्त ग्रामवासी, ग्राम–पथरिया जिला– दुर्ग।	ग्राम–पथरिया (सह.), तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल द्वारा संचालित चूना पत्थर खदान (लीज–1 एवं लीज–2) की क्षमता विस्तार पर सहमति बाबत्।
2.	श्री राजकुमार एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम–पथरिया जिला– दुर्ग।	ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल द्वारा संचालित चूना पत्थर खदान (लीज–1 एवं लीज–2) की क्षमता विस्तार पर सहमति बाबत्।
3.	श्री विजय कुमार, ग्राम–पथरिया जिला–दुर्ग	ग्राम–पथरिया (सह.), तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल द्वारा संचालित चूना पत्थर खदान (लीज–1 एवं लीज–2) की क्षमता विस्तार पर सहमति बाबत्।
4.	श्री रविशंकर सिंह, वार्ड नंबर–15, ग्राम–अहिवारा जिला–दुर्ग।	ए.सी.सी. खदान द्वारा नंदिनी रोड़ के दोहन संबंधी।
5.	श्री भूपेन्द्र सिंह, वार्ड नंबर–13, गुरूद्वारा के पास, नंदिनी अहिवारा, जिला–दुर्ग।	ए.सी.सी. लाईम स्टोन माईन लीज नंबर–2 पथरिया से ए.सी.सी. संयंत्र तक खनिज परिवहन हेतु।
6.	श्री मन्नूलाल ठाकुर, ग्राम–पथरिया जिला–दुर्ग।	ग्राम–पथरिया में स्थित ए.सी.सी. जामुल की खदान (लीज–1 एवम् लीज–2) के क्षमता विस्तार बाबत्।
7.	श्रीमती सरोज बाई ढीवर एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत पथरिया जिला–दुर्ग।	ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल सीमेण्ट द्वारा ग्राम पथरिया जिला–दुर्ग (छ.ग.) में माइन्स (36.00 हे0) क्षेत्र में खनन के लिये लोक सुनवाई में घोर आपत्ति तथा इनके अलावा पथरिया में उपस्थित कंपनियों के कारण होने वाले समस्याओं से अवगत करने हेतु बाबत्।
8.	समस्त ग्रामवासी ग्राम–पथरिया (सह.) तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) पो0 मेड़ेसरा, थाना–अहिवारा जिला–दुर्ग।	ग्राम पंचायत पथरिया में उत्पन्न असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंध लगाने हेतु।
9.	श्री आनंद टंडन एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत पथरिया (सह.) जिला–दुर्ग (छ.ग.) तहसील–धमधा, थाना–अहिवारा, पो0 मेड़ेसरा जिला–दुर्ग।	मे0 ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल सीमेण्ट वर्क्स ग्राम–पथरिया, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में माइन्स (36. 00 हे0) क्षेत्र में खनन के लिये लोक सुनवाई में घोर आपत्ति तथा इनके अलावा पथरिया में उपस्थित कंपनियों के कारण होने वाले समस्याओं से अवगत करने हेतु बाबत्।
10.	समस्त ग्रामवासी ग्राम–पथरिया (सह.), तहसील–धमधा जिला–दुर्ग (छ.ग.), पो0 मेड़ेसरा, थाना–अहिवारा	ग्राम पंचायत पथरिया में उत्पन्न असामाजिक तत्वों पर प्रतिबंध लगाने हेतु।

	जिला–दुर्ग।	
11.	समस्त ग्रामवासी, पथरिया जिला–दुर्ग।	ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल की खदानों के क्षमता विस्तार पर सहमति बाबत्।
12.	श्री छोटेलाल शुक्ला, ग्राम–नंदिनी टाऊनशिप जिला–दुर्ग।	ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल द्वारा संचालित चूना पत्थर खदान (लीज–1 एवं लीज–2) की क्षमता विस्तार पर सहमति बाबत्।
13.	कु0 आरती निर्मलकर, ग्राम–मेड़ेसरा जिला–दुर्ग।	गांव में पर्यावरण के कार्य करने एवं गांव में विकास कार्य करने बाबत्।
14.	श्रीमती कल्याणी पटेल, ग्राम–मेड़ेसरा जिला–दुर्ग।	गांव में पर्यावरण के कार्य करने एवं गांव में विकास कार्य करने बाबत्।
15.	श्रीमती ज्ञानेश्वरी साहू, ग्राम–मेड़ेसरा जिला–दुर्ग।	गांव में पर्यावरण के कार्य करने एवं गांव में विकास कार्य करने बाबत्।
16.	श्रीमती अहिल्या यादव, ग्राम–मेड़ेसरा जिला–दुर्ग।	गांव में पर्यावरण के कार्य करने एवं गांव में विकास कार्य करने बाबत्।
17.	श्रीमती उषा केसरा, ग्राम–मेड़ेसरा जिला–दुर्ग।	गांव में पर्यावरण के कार्य करने एवं गांव में विकास कार्य करने बाबत्।
18.	श्रीमती रूद्राणी निर्मल, ग्राम–मेड़ेसरा जिला–दुर्ग।	गांव में पर्यावरण के कार्य करने एवं गांव में विकास कार्य करने बाबत्।
19.	श्रीमती नंदनी निषाद, ग्राम–मेड़ेसरा जिला–दुर्ग।	गांव में पर्यावरण के कार्य करने एवं गांव में विकास कार्य करने बाबत्।
20.	नमिता पटेल, ग्राम–मेड़ेसरा जिला–दुर्ग।	गांव में पर्यावरण के कार्य करने एवं गांव में विकास कार्य करने बाबत्।
21.	श्री शेख अनिफ, ग्राम–नंदिनी, पथरिया जिला–दुर्ग।	ग्राम–पथरिया (सह.), तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल द्वारा संचालित चूना पत्थर खदान (लीज–1 एवं लीज–2) की क्षमता विस्तार पर सहमति बाबत्।
22.	श्री दिलीप साहू, ग्राम–अहिवारा जिला–दुर्ग	ग्राम–पथरिया (सह.), तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल द्वारा संचालित चूना पत्थर खदान (लीज–1 एवं लीज–2) की क्षमता विस्तार पर सहमति बाबत्।
23.	श्री कईऊम खान, ग्राम–पथरिया जिला–दुर्ग।	ग्राम–पथरिया (सह.), तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल द्वारा संचालित चूना पत्थर खदान (लीज–1 एवं लीज–2) की क्षमता विस्तार पर सहमति बाबत्।
24.	श्री हरवंश कुमार अडिल, ग्राम–अहिवारा जिला–दुर्ग।	ग्राम–पथरिया (सह.), तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल द्वारा संचालित चूना पत्थर खदान (लीज–1 एवं लीज–2) की क्षमता विस्तार पर सहमति बाबत्।
25.	श्री दीपक टंडन, ग्राम–पथरिया जिला–दुर्ग	ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल की खदानों के क्षमता विस्तार पर सहमति बाबत्।

26.	श्री नशाद खान, ग्राम–पथरिया जिला–दुर्ग	ग्राम–पथरिया (सह.) तहसील–धमधा जिला–दुर्ग में ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल द्वारा संचालित चूना पत्थर खदान (लीज–1 एवं लीज–2) की क्षमता विस्तार पर सहमति बाबत्।
27.	श्री छगन लाल, ग्राम–मेड़ेसरा जिला–दुर्ग।	ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल की खदानों के क्षमता विस्तार पर सहमति बाबत्।
28.	श्री राजू टंडन, ग्राम–पथरिया जिला–दुर्ग।	ए.सी.सी. लिमिटेड, जामुल द्वारा संचालित चूना पत्थर खदान (लीज–1 एवं लीज–2) की क्षमता विस्तार पर सहमति बाबत्।

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जनों में से कुल 40 लोगों द्वारा हस्ताक्षर किये गये। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

सुनील जैन, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए शाम 3.20 बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

(अजय गेडाम)
क्षेत्रीय अधिकारी,
छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई

(सुनील जैन)
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी
जिला–दुर्ग